संख्या- 7/१०७६/५०-वाई0के0-२०१४-०६(आर.जी.के.ए.)/२०१४

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१.समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश,
२.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

युवा कल्याण अनुभाग **लखनऊ दिनांक: २५ अगस्त, २०१४**

विषय-पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) योजना के स्थान पर राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) योजना लागू किया जाना।

महोदय,

प्रश्नगत संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-८-३/एमवाईएएस/पायका/२०१२, दिनांक २९ अप्रैल, २०१४ द्वारा पायका योजना के स्थान पर राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) योजना ०१ अप्रैल, २०१४ से कार्यान्वित की गई है। योजना की ऑपरेशनल गाईड लाईन्स, २०१४ भारत सरकार के पत्र संख्या-३६-३/एमवाइएएस/आर.जी.के.ए./२०१४, दिनांक १६ जुलाई, २०१४ में दी गई हैं। भारत सरकार की प्रश्नगत राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) योजना उत्तर प्रदेश राज्य में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वरूप में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

२- राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायत तथा ब्लाक स्तर पर खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को प्रोत्साहित किया जा सके।

३- योजना के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक खेल मैदान का विकास किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तरीय खेल मैदान हेतु कम से कम एक-दो एकड़ भूमि आवश्यक होगी। पंचायत स्तरीय खेल मैदानों का विकास मनरेगा योजना के अन्तर्गत किया जायेगा तथा खेल मैदान के रख-रखाव एवं समुचित उपयोग का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत का होगा।

-२-

http://sfrasendeshup.nic.in

४- योजना के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड में आगामी पांच वर्षों में ब्लाक मुख्यालय पर ६-७ एकड़ भूमि पर एक स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का विकास किया जायेगा। ब्लाक स्तरीय स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की स्थापना हेतु मनरेगा योजना के अन्तर्गत ८०.०० लाख रूपये की धनराशि से आउटडोर खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। इन्डोर स्पोर्ट्स हाल का निर्माण ८०.०० लाख रूपये की धनराशि से वरीयता क्रम में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के ए.सी.ए., बी.आर.जी.एफ. (पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि) तथा आर.जी.के.ए. योजना की धनराशि से किया जायेगा।

५- ब्लाक स्तर पर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का विकास किये जाने हेतु भूमि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों से शासनादेश संख्या-१०१८/५०-वाई0के0-२०१४-४८(विविध)/२०१३, दिनांक १२ अगस्त, २०१४ द्वारा पूर्व में ही अनुरोध किया जा चुका है।

६- पायका योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड, जनपद, जोन एवं राज्य स्तर पर होने वाली वार्षिक ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं वर्ष २०१४-१५ से राजीव गांधी खेल अभियान के नाम से आयोजित की जाऐंगी।

७- आर.जी.के.ए. के सम्बन्ध में भारत सरकार की ऑपरेशनल गाईड लाईन्स के अनुसार राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय एक्जीक्यूटिव कमेटी गठित किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

कृपया राजीव गांधी खेल अभियान का प्रदेश में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

भुवनेश कुमार,
सचिव।

संख्या- ७/१०७६(१)/५०-वाई0के0-२०१४-०६(आर.जी.के.ए.)/२०१४, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ,
२- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0, लखनऊ,
३- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ,
४- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ,

-३-

http://shasanadesh.up.nic.in

५- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, नियोजन, पंचायती राज, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ,

६- अन्य समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ,

७- निदेशक (स्कीम), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (खेल विभाग), मिशन निदेशालय(आर.जी.के.ए.), भारत सरकार, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-११० ००३,

८- महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक-४०५/दो-१६/प्रा0वि0द0/आर.जी.के.ए./१४, दिनांक २४ जुलाई, के सन्दर्भ में राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय एक्जीक्यूटिव कमेटी गठित किये जाने हेतु प्रस्ताव तत्काल प्रेषित किये जाने के अनुरोध सहित,

९- निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ,

१०- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश,

११- समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी से सम्पर्क कर राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) की अधिसूचना दिनांक २९ अप्रैल, २०१४ एवं ऑपरेशनल गाईड लाइन्स, २०१४, दिनांक १६ जुलाई, उनके संज्ञान में लाते हुये, आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित करें।

१२- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in